6/10/.. कलीम करीमेन उपस्थित द्वारा वादी आंशिक डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर आज्ञप्ति पत्रावली [illegible] अन्य पत्रावली [illegible] कुमार [illegible] नंबर [illegible] दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

प्रकाशचंद उम्र 66 साल दत्तक पुत्र हीराचंद जाति ब्राहमण निवासी शीतला मंदिर के पास करौली तहसील व जिला करौली

––वादी

बनाम

1. कलुआ पुत्र नथुआ उम्र 60 साल जाति माली निवासी स्टेडियम के पीछे करौली तहसील व जिला करौली
2. नरेन्द्र सिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत उम्र 32 साल निवासी बिरवास तहसील व जिला करौली
3. तहसीलदार तहसील करौली लैण्डहोल्डर
4. सब रजिस्ट्रार करौली तहसील व जिला करौली

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व दुरस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 74/13

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री श्याम प्रकाश** गर्ग **एडवाकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री नवल किशोर शर्मा, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है। वादी को आराजी खसरा नंबर 11 रकबा 13 बिस्वा ग्राम कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 8 तहसील करौली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नंबर 1 का नाम खातेदारी से हजफ किया जाता है। प्रतिवादी नंबर 3 इसी अनुसार वादी हक में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खातेदारी इन्द्राज अमल करें। शेष आराजीयात दर्ज वादपत्र के बाबत दावा वापस विड्रॉ हो जाने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमा मय सूद निज बगरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 6/10/25 को सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी,
करौली (राज.)

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखायी गयी हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–74 / 13 तारीख रंजु:–22.10.13

उनवान

प्रकाशचंद उम्र 66 साल दत्तक पुत्र हीराचंद जाति ब्राहमण निवासी शीतला मंदिर के पास करौली तहसील व जिला करौली

––वादी

बनाम

1. कलुआ पुत्र नथुआ उम्र 60 साल जाति माली निवासी स्टेडियम के पीछे करौली तहसील व जिला करौली
2. नरेन्द्र सिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत उम्र 32 साल निवासी बिरवास तहसील व जिला करौली
3. तहसीलदार तहसील करौली लैण्डहोल्डर
4. सब रजिस्ट्रार करौली तहसील व जिला करौली

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व दुरस्ती
इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

–::निर्णय::– दिनांक:– 6/10/13

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1133 लगायत 1140, 1145, 1148, 1151, 1175 कुल किता 12 कुल रकवा 4 वीघा 14 बिस्वा कस्बा करौली में स्थित है ये जमीने मुझ वादी के बाबा खुमचंद की खुदकाश्त की आराजीयात है टीनेन्सी एक्ट लागू होने के वक्त व उससे पहले व उसके बाद मुझ वादी के बाबा खेमचंद ही जमीनों पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहे है उनके फौत होने पर मेरे पिता हीराचंद व हीराचंद के फौत होने पर मेरे पिता हीराचंद व हीराचंद के फौत होने पर मै वादी वाहिद विवादित जमीनों पर वहैसियत खतेदार काश्तकार काबिज हूं विवादित जमीन का सम्बत 1916 में मुझ वादी के बुजुर्ग लखमीचंद को पटटा परा हमेशा को पट्टे पर दी थी। प्रतिवादी सं 1 कलुआ का उक्त आराजीयात से कोइ ताल्लुक नहीं रहा है सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा बिना किसी कानूनी अधिकार के विवादित जमीन का खाता प्रतिवादी सं 1 के नाम कर दिया जो गलत है सेटिलमेन्ट विभाग को खातेदारी मालिकाना तय करने या खातेदारी बदलने का कोई कानूनी आधिकार नहीं है प्रवितादी सं 1 को बिना अधिकार के विवादित जमीनों को वय करने का कोई अधिकार नहीं है प्रतिवादी सं 1 ने उक्त आराजीयात में से गलत खातेदारी इन्द्राज के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 1138, 1139, 1140, 1145, 1148, 1151 कुल किता 6 कुल रकवा 2 वीघा 9 बिस्वा को बिना किसी आधार के जरिये रजिस्टर्ड वयनामा वय कर दिया प्रतिवादी सं 1 को ही इन जमीनों में कोई अधिकार नहीं थे तो क्रेता को भी किसी तरह के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है तथा खसरा नम्बर 1133 ता 1136 किता 5 सिचाई विभाग में चला गया है इस दावा में विवादति नहीं है उनके लिए अलग से कार्यवाही की जा रही है प्रतिवादीगण सं 1 व 2 का विवादित आराजीयात में किसी तरह का कोई ताल्लुल नहीं है ना ही काबिज है इनके हक में जो राजस्व व इन्द्राज हो रहे है वह भी गलत है और खारिज होने योग्य है दिनांक 145.8.13 को प्रतिवादी सं 2 ने मुझ वादी से आकर कहा कि उक्त जमीनो को हमने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा से खरीद लिया और हमारे नाम जमाबंदी में इन्द्राज हो गये हम

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

जमीनों पर जबरन कब्जा करेगे और जमीनों में प्लाट बनाकर आइन्दा भी रहन व वय करेगे और तुम्हे बेदखल करेगे तब हमने राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की तब समस्त फर्जकारी का पता लगा सका है जमाबंदी सं 2010 से 2013 व खाता चौसाला की नकले रिकार्ड रूम से प्राप्त कराने का भी आवेदन किया तो रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने व जीर्ण–शीर्ण होने के कारण नकले प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिए पेश करना संभव हनीं है रजिस्टर्ड वयनामा होने से मुझ वादी के हकूको पर कोई प्रभाव नहीं पडता है ऐसा वयनामा मुझ वादी के हकूको पर वेअसर व नल एण्ड बोइड है वादी विवादित आराजी खसरा नम्बर 1137, 1138, 1139, 1140, 1145 व 1148 की खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी सं 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का अधिकारी है कि उक्त जमीनो में वादी के कब्जे काश्त में किसी तरह की कोई मदाख्लत नहीं करे ना अन्य से करावे वादी का शांतिपूर्वक काबिज रहने दे जमीन में कोई प्लाटिग नहीं करे ना निर्माण करे ना किसी अन्य से करावे ना रहन व वय करे ना वयनामा तस्दीक करावे प्रतिवादी सं 3 व 4 को पावन्द किया जावे कि व मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे हस्तान्तरण पत्र तस्दीक नहीं करे ना करावे। तथा प्रतिवादी सं 3 व 4 को पावन्द करवाने का अधिकारी है कि वे मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखे, हस्तान्तरण पत्र तस्दीक नहीं करें। बाद कारण दिनांक 14.8.13 को प्रतिवादी सं 2 द्वारा जमीन रजिस्टर्ड वयनामा से खरीद लेने व जमाबंदी के इन्द्राज करा लेने व जमीन में जबरन प्लाट काट कर रहन करने की तथा मुझ वादी को बेदखल करने की धमकी देने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई प्रतिवादी सं 1 ने भी दिनांक 14,8,13 को शेष जमीन को जबरन वय करने व मुझे बेदखल करने की धमकी देने पर पैदा हुई। वादी प्रार्थना करता है कि दावा वादी मय खर्चा डिकी किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1137, 1138, 1139, 1140, 1145, 1148, 1151 किता 7 कुल रकवा 3 वीघा 2 विस्वा कस्बा करौली की खातेदारी वादी के हक में घोषित करते हुए इसी तरह राजस्वा रिकार्ड में इन्द्राज किये जावे एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी की उक्त आराजी में वादी के कब्जे में किसी तरह की कोई मदाख्लत मजामहत हनीं करे ना किसी अनरू से कराये जमीन में प्लाट नहीं काटे ना ही जमीनों को आईन्दा रहन व वय करे वादी को शांति पूर्वक काश्त करने दे प्रतिवादी सं 3 व 4 को पाबन्द किया जावे कि वे मौके व रिकरर्ड की स्थिति यथावत रखे जमीन का कोइ हस्तान्तरण पत्र तस्दीक नहीं करे ना करावै। अन्य दादरसी जो करीने इन्साफ हो अता फरमाई जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण नंबर 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि बाद पत्र का मद सं 1 जिस प्रकार तहरीर किया है गलत है स्वीकार नहीं है। इस मद में दर्ज आराजीयात परवादी का बाबा खेमचंद कभी भी वहैसियत खातेदार काश्त काबिज नहीं हरा है ना ही वादी का पिता हीराचंद एवं वादी उक्त जमीनो पर वहैसियत खतेदार काश्तकार काबिज रहे है। ना ही वादी अथवा उसके पिता एवं बाबा के नाम उक्त आराजीयात की खातेदारी दर्ज रही हैं। वादी ने समस्त तथ्य मिथ्या तौरा पर बेइमानी पूर्वक आराजी को हडपने के इरादे से दर्ज किये है वादी का यह कथन भी गलत है कि विवादित जमीन सम्बत 1916 में वादी के बुर्जग लक्ष्मीचंद को पटटे पर हमेशा हमेशा के लिए दी थी। विवादित आराजीयात कभी भी किसी लक्ष्मीचंद को पटटे पर नही दी गई है औश्र लक्ष्मीचंद नाम का कोइ बुर्जग वादी का नहीं है जो स्वयं वादी के अभिवचनों से ही स्पष्ट है वादी ने अपने पिता का नाम हीराचंद एवं बाबा का नाम खमेचंद बताया है लक्ष्मीचंद से वादी का क्या रिश्ता है दावा मे दर्ज नहीं किया है और यह भी दर्ज नहीं किया है कि सन 1916 में अर्थात 150 साल पूर्व उक्त आराजीयात के खसरा नम्बर क्या थे और किसके द्वारा पटटा जारी किया गया। सेटिलमेन्ट

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

से पूर्व और सेटिलमेन्ट के पश्चात सम्वत 2016 से 2019 व सम्वत 2029 से 2032 की गिरदावरीयो वास्तविक कब्जे के आधार पर दर्ज की गई है किसी भी खसरा गिरदावरी में वादी अथवा उसके पूर्वज का नाम दर्ज नही है ना ही कभी खातेदारी में दर्ज रहा है ना ही वादी व उसके पूर्वजो का विवादति आराजी से कभी कोई कब्जा सम्बन्ध रहा है विवादित आराजीयात हमेशा से प्रतिवादी सं 1 व उससे पूर्व प्रतिवादी सं 1 के पिता के खातेदारी व कब्जे काश्त में रही है। बाद पत्र का मद सं 2 गलत है स्वीकार नहीं है विवादित आराजीयात हमेशा से एक मात्र प्रतिवादी सं 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है और सेटलमेंट विभाग ने पूर्व की एन्ट्रीज को ही दर्ज किया है सेटिलमेन्ट से पूर्व भी विवादित आराजीयात प्रतिवादी सं 1 के नाम दर्ज रही है सेटिलमेन्ट विभाग ने कोई खाता परिवर्तित नही किया है प्रतिवादी सं 1 विवादित अराजीयात का वासतविक खातेदारी काश्तकार काबिज रहा है और प्रतिवादी सं 1 ने आराजी खसरा नम्बर 1138, 1139, 1140, 1145, 1148, 1151 को विक्रय किया है और सिचाई विभाग में डूब में गई आराजीयात का मुआवजा प्रतिवादी को अधिकार प्राप्त हुआ है जिसके अधिग्रण की सूचना सार्वजनिक रूप से समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुई है किन्तु वादी द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया है क्योंकि वादी का उक्त आराजीयात से कभी कोई सम्बन्ध नही रहा है आराजी खसरा नम्बर 1134, 1135, 1137 आज भी मुझ प्रतिवादी के खतेदारी व कब्जे काश्त की है वादी का कोई कब्जा काश्त किसी भ्झी आराजी पर नही ह ैना ही कभी पूर्व में रहा है वादी मुझ प्रतिवादी के हक के किसी भी राजस्व रिकार्ड को खारिज कराने का अधिकारी नही है दिनांक 14.8.13 को वादी की प्रतिवादीगण से कोई बात नहीं हुई है कोई राजस्व रिकार्ड वादी ने नही निकलवाया है कोई राजस्व रिकार्ड वादी के पक्ष का नही है इस कारण वादी ने कोई रिकार्ड पेश नही किया है वादी किसी रजिस्टर्ड वयनामा को शून्य घोषित कराने का अधिकारी नही है ना ही कोई घोषणा कराने का अधिकारी है वादी का कोई कब्जा काश्त विवादित आराजी पर नही है ऐसी दशा में वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान का प्रश्न ही नही है वादी सरकारी अध्यापक से रिटायर हुआ है और उसने कभी काश्त नही की है वादी ने समस्त तथ्य झूठे दर्ज किए हैं। वादी को कोई विनाय मुखासमत दिनांक 14.8.13 को अथवा किसी अन्य दिवस को पैदा नही हुई है कोई धमकी वादी को नही दी है कोई कब्जा वादी का नही है तब उसे बेदखल करने की धमकी देने का प्रश्न ही नही हैं। रजिस्टर्ड वयनमा को अवैध एवं शून्य घोषित करने का बाद केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही विचारणीय है और प्रतिवादी सं 2 के हक में निष्पादित वयनामा को निरस्त एवं शून्य घोषित कराये बिना दावा चलने योग्य नही है वादी ने दावा प्रतिवादी सं 2 से साज करके मुझ प्रतिवादी की आराजी को बेइमानी पूर्वक हडपने के इरादे से झूठे तथ्यों पर पेश किाय है जबकि वादी का विवादित आराजीयात से कोई सम्बन्ध नही है। प्रतिवादी सं 2 स्वयं भूमि खरीद फरोक्त का कार्य करता है जिसने पूर्व में मुझ प्रतिवादी को बहका कर मुझसे विवादित आराजी में से कुछ आराजीयात का वयनामा करा लिया और मेरी शेष आराजीयात को भी लेने के लिये प्रयासरत था किन्तू मैने अपनी शेष आराजीयात को विक्रय करने से इन्कार कर दिया तो उसने वादी से यह झूठा पेश करवा दिया और दावा की आड में मुझे भयभीत करके मेरी शेष आराजीयात स्वयं को बेचने को प्रेरित करने लगा किन्तू मैने अपनी शेष आराजीयात उसे विक्रय नही की। वादी ने मुझ प्रतिवादी सं 1 द्वारा प्रतिवादी सं 2 से दुरसंधि के परिणामस्वरूप वादी ने प्रतिवादी सं 2 के विरूद्व दावा को विदडा कर लिया है जबकि प्रतिवादी सं 2 दाावा में आवश्यक पक्षकार है इस कारण आवश्यक पक्षकार के अभाव में दावा वादी इसी आधार पर खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी सं 2 के हक में पंजीकृत वयनामा को निरस्त कराये बिना दावा वादी चलने योग्य नही है। दावा सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

वादी व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक बिन्दु विरचित किये गये:–

1. आया विवादित आराजीयात खसरा नंबर 1133 लगायत 1140, 1145, 1148, 1151, 1175 कुल किता 12 कुल रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा कस्बा करौली वादी के बाबा खेमचंद के समय की खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। वादी अपने हक में खातेदारी घोषणा इन्द्राज कराने का अधिकारी है। –वादी
2. आया विवादित आराजीयात वादी की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। –वादी
3. आया दावा वादी क्षेत्राधिकार के अभाव में चलने योग्य नहीं है। –प्रतिवादीगण
4. आया वादी प्रतिवादी नंबर 2 को बिना पक्षकार चलने योग्य नहीं है। –प्रतिवादीगण
5. अनुतोषः–

वाद विवाद्यक बिन्दू वादी साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू–1 प्रकाशचंद का बयान लेखबद्व कराया है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी संवत 2015 प्रदर्श–2 व 3, नकल प्रतिलिपि फोरम प्रदर्श–4, करौली स्टेट का पट्टा प्रदर्श–5 पश कर प्रदर्शित कराये है। साक्ष्य वादी समाप्त की गई।

प्रतिवादी नंबर 1 के वकील द्वारा दिनांक 31.7.2025 को प्रकरण में हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया। इसलिए प्रतिवादी नंबर 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 1133 लगायत 1140, 1145, 1148, 1151, 1175 कुल किता 12 कुल रकवा 4 वीघा 14 बिस्वा कस्बा करौली में स्थित है ये जमीने मुझ वादी के बाबा खुमचंद की खुदकाश्त की आराजीयात है टीनेन्सी एक्ट लागू होने के वक्त व उससे पहले व उसके बाद मुझ वादी के बाबा खेमचंद ही जमीनों पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहे है उनके फौत होने पर मेरे पिता हीराचंद व हीराचंद के फौत होने पर मेरे पिता हीराचंद व हीराचंद के फौत होने पर मै वादी वाहिद विवादित जमीनों पर वहैसियत खतेदार काश्तकार काबिज हूं विवादित जमीन का सम्बत 1916 में मुझ वादी के बुजुर्ग लखमीचंद को पटटा परा हमेशा को पटटे पर दी थी। प्रतिवादी सं 1 कलुआ का उक्त आराजीयात से कोई ताल्लुक नहीं रहा है सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा बिना किसी कानूनी अधिकार के विवादित जमीन का खाता प्रतिवादी सं 1 के नाम कर दिया जो गलत है सेटिलमेन्ट विभाग को खातेदारी मालिकाना तय करने या खातेदारी बदलने का कोई कानूनी आधिकार नहीं है प्रवितादी सं 1 को बिना अधिकार के विवादित जमीनों को वय करने का कोई अधिकार नहीं है प्रतिवादी सं 1 ने उक्त आराजीयात में से गलत खातेदारी इन्द्राज के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 1138, 1139, 1140, 1145, 1148, 1151 कुल किता 6 कुल रकवा 2 वीघा 9 बिस्वा को बिना किसी आधार के जरिये रजिस्टर्ड वयनामा वय कर दिया प्रतिवादी सं 1 को ही इन जमीनों में कोई अधिकार नहीं थे तो केता को भी किसी तरह के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है तथा खसरा नम्बर 1133 ता 1136 किता 5 सिचाई विभाग में चला गया है इस दावा में विवादति नहीं है उनके लिए अलग से कार्यवाही की जा रही है प्रतिवादीगण सं 1 व 2 का विवादित आराजीयात में किसी तरह का कोई ताल्लुल नहीं है ना ही काबिज है इनके हक में जो राजस्व व इन्द्राज हो रहे है वह भी गलत है और खरिज होने योग्य है दिनांक 145.8.13 को प्रतिवादी सं 2 ने मुझ वादी से आकर कहा कि उक्त जमीनो को हमने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा से खरीद लिया और हमारे नाम जमाबंदी में इन्द्राज हो गये हम जमीनों पर जबरन कब्जा करेगे और हमीनों में प्लाट बनाकर आइन्दा भी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

रहन व वय करेगे और तुम्हे बेदखल करेगे तब हमने राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की तब समस्त फर्जकारी का पता लगा सका है जमाबंदी सं 2010 से 2013 व खाता चौसाला की नकले रिकार्ड रूम से प्राप्त कराने का भी आवेदन किया तो रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने व जीर्ण शीर्ण होने के कारण नकल प्राप्त नही हो सकी है इसलिए पेश करना संभव हनीं है रजिस्टर्ड वयनामा होने से मुझ वादी के हकूको पर कोई प्रभाव नही पडता है ऐसा वयनामा मुझ वादी के हकूको पर वेअसर व नल एण्ड वोइड है वादी विवादित आराजी खसरा नम्बर 1137, 1138, 1139, 1140, 1145 व 1148 की खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी सं 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का अधिकारी है कि उक्त जमीनो में वादी के कब्जे काश्त में किसी तरह की कोई मदाख्लत नहीं करे ना अन्य से करावे वादी को शांतिपूर्वक काबिज रहने दे जमीन में कोई प्लाटिग नहीं करे ना निर्माण करे ना किसी अनय स करावे ना रहन व वय करे ना वयनामा तस्दीक करावे प्रतिवादी सं 3 व 4 को पावन्द किया जावे कि व मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे हस्तान्तरण पत्र तस्दीक नहीं करे ना करावे। तथा प्रतिवादी स 3 व 4 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वे मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखे, हस्तान्तरण पत्र तस्दीक नहीं करें। बाद कारण दिनांक 14.8.13 को प्रतिवादी सं 2 द्वारा जमीन रजिस्टर्ड वयनामा से खरीद लेने व जमाबंदी के इन्द्राज करा लेने व जमीन में जबरन प्लाट काट कर रहन करने की तथा मुझ वादी का बेदखल करने की धमकी देने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई प्रतिवादी सं 1 ने भी दिनांक 14,8,13 को शेष जमीन को जबरन वय करने व मुझे बेदखल करने की धमकी देने पर पैदा हुई। वादी प्रार्थना करता है कि दावा वादी मय खर्चा डिकी किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1137, 1138, 1139, 1140, 1145, 1148, 1151 किता 7 कुल रकवा 3 वीघा 2 विस्वा कस्बा करौली की खातेदारी वादी के हक में घोषित करते हुए इसी तरह राजस्वा रिकार्ड में इन्द्राज किये जावे एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी की उक्त आराजी में वादी के कब्जे में किसी तरह की कोई मदाख्लत मजामहत हनीं करे ना किसी अनरू से कराये जमीन में प्लाट नहीं काटे ना ही जमीनों को आइन्दा रहन व वय करे वादी को शांति पूर्वक काश्त करने दे प्रतिवादी सं 3 व 4 को पाबन्द किया जावे कि वे मौके व रिकरर्ड की स्थिति यथावत रखे जमीन का कोइ हस्तान्तरण पत्र तस्दीक नहीं करे। अंत में दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील वादी का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य का अवलोकन कर विवेचन किया गया। प्रकरण का तनकीवार निर्णय किया जाना उचित है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार हैः–

विवाद्यक संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादी पर है। विवाद्यक संख्या 1 व 2 एक दूसरे के पूरक होने से दोनो विवाद्यकों का एक साथ विवेचन किया जाना उचित है। इन विवाद्यकों के संबंध में वादी ने खसरा नंबर 1137 के अलावा दिनांक 17.03.2015 को अन्य आराजीयात का दावा आवेदन प्रस्तुत कर विड्रा कर लिया है। इस प्रकार प्रकरण में मात्र खसरा नंबर 1137 विवादित रहा है। जिसके संबंध में वादी ने नकल जमाबंदी संवत 2015 प्रदर्श–2 व 3 पेश की है। जिसमें भूमि कॉलम नंबर 3 में माफी पुन्यार्थ खेमचंद चेला कुशलचंद कौम जती सा0 देह दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि खसरा नंबर 1137 वादी के बाबा खेमचंद की खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। इस भूमि का करौली स्टेट द्वारा वादी के पूर्वज हक में प्रदर्श–5 पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 व 2 के संबंध में वादी ने अपनी पुश्तैनी खातेदारी होना साक्ष्य से साबित किया है। अतः विवाद्यक संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

विवाद्यक संख्या 3 व 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी नंबर 1 पर है। प्रतिवादी नंबर 1 ने इस संबंध में कोई साक्ष्य सबूत मौखिक व दस्तावेजी पत्रावली में पेश नहीं किये है। अतः विवाद्यक संख्या 3 व 4 को प्रतिवादी संख्या 1 साबित करने में असफल रहा है। अतः विवाद्यक संख्या 3 व 4 प्रतिवादी नंबर 1 के विरूद्व वादी के पक्ष में तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 5 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 व 2 के विवेचन से खसरा नंबर 1137 रकबा 13 बिस्वा कस्बा करौली पटवारी हल्का 8 तहसील करौली वादी के बाबा खेमचंद चेला कुशलचंद की पुश्तैनी खातेदारी की माफी पुन्यार्थ भूमि होना जमाबंदी संवत 2015 प्रदर्श–2 व 3 से साबित होती है। वादपत्र में दर्ज अन्य आराजीयात के संबंध में वादी ने दिनांक 17.3.2015 को वाद विड्रा (वापिस) कर लिया है। जिनके संबंध में न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित किया जाना उचित नहीं है। मात्र आराजी खसरा नंबर 1137 बाबत् दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है। वादी को आराजी खसरा नंबर 1137 रकबा 13 बिस्वा ग्राम कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 8 तहसील करौली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नंबर 1 का नाम खातेदारी से हजफ किया जाता है। प्रतिवादी नंबर 3 इसी अनुसार वादी के हक में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खातेदारी इन्द्राज अमल करें। शेष आराजीयात दर्ज वादपत्र के बाबत दावा वादी विड्रॉ हो जाने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6/10/15 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

6/10/15

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)